14.9.2020	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली मे विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल दाखा पत्रावली मे शामिल रहे।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2022.09.21 17:26:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उप जिला कलेक्टर साहब करौली (राज.)

पीठासीन अधिकारी :—देवेन्द्र ~~कुमार~~ सिंह परमार(RAS)

ता0रजू दिनांक 08.04.2015

1— बाबूद्दीन पुत्र खरगा

2— औसाफ पुत्र उमरदीन पुत्र खरगा

3— गुलदीन पुत्र उमरदीन पुत्र खरगा

सभी जातियान मुसलमान निवासीयान वजीरपुर गेट करौली तहसील व जिला करौली (राज0)

—सायलान

बनाम

1— अब्दुल हमीद पुत्र फजलू उर्फ फजल रहमान घडी साज जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला वजीरपुर दरवाजा, रामविलास ऑयल मिल के पास करौली तहसील व जिला करौली (राज0)

2— लतीफ | पिसरान अब्दुल अजीज

3— याकूब | जाति मुसलमान निवासी करौली

4— कलाम |

5— अय्यूब |

6— जैबुन उर्फ जैतून पुत्री अजीज निवासी सायनाथ खिडकिया करौली (राज0)

7— यूसुफ पुत्र अब्दुल अजीज मुसलमान वजीरपुर गेट करौली (राज0)

8— हिमाल संह पुत्र पून्या जाति गुर्जर निवासी रोंडखुर्द तहसील करौली

9— रामरज पुत्र मूलचन्द जाति गुर्जर निवासी [illegible] तहसील करौली

10— सरवन पुत्र रामचरण जाति महाजन निवासी [illegible]डारा बाजार करौली

11— तहसीलदार तहसील करौली लेण्ड होल्डर

—गैरसायलान

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2022.09.21 17:26:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

दर0 धारा 212 आर0टी0एक्ट

उपस्थित — 1. श्री श्यामसुन्दर शर्मा अधिवक्ता सायलान की ओर से
2. श्री श्यामप्रकाश गर्ग अधिवक्ता गैरसायलान की ओर से

निर्णय

दिनांक 14.09.2020

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वांके कस्बा करौली आराजीयात खसरा नम्बर 4723 कुआं बगीची वाला गै0मु0चाह रकवा 01 विस्वा व खसरा नम्बर 4724 रकवा 09 विस्वा बारानी आलिफ स्थित है। जिन्हें इमामुद्दीन वगै0 साविक मालिक खातेदार ने उमरदीन पुत्र खरगा मुसलमान निवासी करौली की बिल ऐवज 800/—रू. में दिनांक 03.05.72 को विक्रय कर रजिस्टर्ड वयनामा सब रजिस्टार करौली के यहां पंजीयन करा दिया। उमरदीन व सायलान नं.1 जो उमरदीन का खास भाई है को कब्जा करा दिया। उमरदीन वर्ष 2014 में फौत हो चुका है। सायलान नं. 2 व 3 व सायल नं. 1 इन जमीनों पर काबिज हैं। कानूनन खरीद के बाद आज तक हकूक काश्तकारी हक में निहित हैं। बेचान के बाद से अन्य किसी का कोई हिस्सा नहीं रहा है।

गैरसायलान नं. 1 लगायत 10 का कोई हक व कब्जा नहीं है। सन् 1972 से सायलान ने कोई मदाखलत नहीं की है ना सायलान के कब्जे को चैलेंज किया है। सायलान बिन पढे लिखे गंवार काश्तकार हैं। अब गैरसायलान दिनांक 01.01.2015 से हमारे कब्जे में मदाखलत करने की कोशिश करने लग पडे हैं और कहते हैं कि इन जमीनों का इन्द्राज हमने हमारे नाम करा लिया है, हम भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करायेंगे व तुम्हें बेदखल करेंगे। अतः जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला दावा गैरसायलान को पाबन्द फरमाया जावे कि वह सायलान के कब्जे काश्त में मदाखलत, मजाहमत पैदा ना तो स्वयं करे ना दीगर किसी से करावे। सायलान को बेदखल नहीं करें ना ही रह[illegible] करें।

2— यह कि उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने के [illegible] दर्ज रजिस्टर होने के पश्चात् गैरसायलान को नोटिस जारी किये गये। गैरसायलान नं. 1 लगायत 7 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि विवादित जमीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2022.09.21 17:26:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर सायलान का कोई कब्जा नहीं है ना कोई हकूक खातेदारी है ना ही खातेदारी के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश किया है न जमाबंदी में वादीगण के नाम के इन्द्राज है। दिनांक 01.01.15 की कहानी गलत दर्ज की है, कोई विनाय मुखासमत पैदा नहीं हुई है। इसलिये दावा 188, 92ए आर0टी0 एक्ट व दर0 अस्थायी निषेधाज्ञा चलने योग्य नहीं है। उमरदीन द्वारा जमीन खरीदना बताया है। दावा व दर0 बाबूदीन ने किया है चलने योग्य नहीं है। हम जवाबदारान शामलाती काबिज हैं। प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

3– उभय पक्ष की बहस सुनी गई। सायलान व गैरसायलान के अधिवक्ताओं ने बहस के दौरान अपने–अपने कथनों को दोहराया है। बाद बहस समाअत मेरे द्वारा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन व मनन किय गया । हस्तगत प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य चल रहे विवाद के सम्बन्ध में न्यायालय को निम्न तीन बिन्दुओं का विनिश्चय किया जाना आवश्यक है:–

1– प्रथम दृष्टया मामला

2– सुविधा का संतुलन

3– अपूर्णीय क्षति

4– <u>प्रथम दृष्टया :–</u> सायलान द्वारा विवादित भूमि जरिये रजिस्टर्ड वयनामा सन् 1972 में खरीद कर आराजीयात पर अपना कब्जा व काश्त निरन्तर योम खरीद से करना बताया है जिसके समर्थन में वयनामा की प्रति व शपथ पत्र पेश किया है तथा साविक खातेदारान की जमाबंदी संवत् 2019–2022 व संवत् 2068–71 की जमाबंदी पेश की है जिससे सायलान के अधिवक्ता का कथन है कि गैरसायलान के पूर्वजों के नाम की पृष्टि होती है तथा वयनामा इमामुद्दीन पुत्र फैज मोहम्मद, नबाव पुत्र छोटे, कमरू पुत्र लाल मोहम्मद, अब्दुल रहीम पुत्र नबी बक्श द्वारा विक्रेतागण के रूप में नाम दर्ज हैं। जमाबंदी संवत् 2019–202[illegible] रहीम पुत्र नबी बक्श, मुन्नी पुत्री रहीम बक्श, फैजु पुत्र हुसैनी खाते[illegible] के रूप में दर्ज है। मुन्नी मर चुकी है जिस बावत् [illegible] है तथा मुन्नी के वारिसान विक्रेतागण होना भी अंकित है। फैजू का लडका इमामुद्दीन स्वयं विक्रेता है। रजिस्टर्ड वयनामा है जो 30 वर्ष पुराना दस्तावेज है जिसकी धारा 90

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2022.09.21 17:26:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

साक्ष्य अधिनियम के तहत सही होने की उपधारणा की जावेगी तथा रजिस्टर्ड वयनामा पर अविश्वास किये जाने का कोई प्रश्न नहीं है। महज सायलान द्वारा नामान्तकरण ना खुलबाने के कारण खातेदारी गैरसायलान के पूर्वजों के नाम चली आ रही है जिसके आधार पर गैरसायलान द्वारा नामान्तकरण खुलवाने मात्र से उन्हें विवादित भूमि में कोई खातेदारी अधिकार कानूनन उनके पूर्वज द्वारा विक्रय करने के पश्चात् शेष नहीं रहते हैं। इस प्रकार महज पेपर एन्ट्री के आधार पर गैरसायलान को सायलान के कब्जेकाश्त में मदाखलत, मजाहमत करने का कोई अधिकार नहीं है। सायलान के हक में रजिस्टर्ड वयनामा से कब्जा उनके होने की पुष्टि होती है। गैरसायलान का कोई कब्जा काश्त विवादित भूमि पर नहीं है ना ऐसी कोई साक्ष्य उन्होंने पेश की है। इस प्रकार उपलब्ध तथ्यों व दस्तावेजात से सायलान अपने हक में इस बिन्दु को साबित करने में सफल रहे हैं। जिससे सायलान के हक में दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया जाता है।

5– <u>सुविधा का संतुलन :–</u> हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त विवेचन के आधार पर सायलान प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में सफल रहे हैं। दावे के फैसला होने में समय लगेगा दौराने दावा यदि गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द नहीं किया गया तो गैरसायलान उन्हें शांतिपूर्वक विवादित भूमि काश्त नहीं करने देंगे। जबरन बेदखल करने व आराजीयात के रहन, वय की आशंका बनी रहेगी इसलिये सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में ही साबित पाया गया है।

6– <u>अपूर्णीय क्षति :–</u> यदि गैरसायलान को जरिये टी0आई0 पाबन्द नहीं किया गया तो दौराने दावा गैरसायलान द्वारा कब्जे काश्त में मदाखलत मजाहमत पैदा करने व जबरन बेदखल करने की अवस्था में सायलान अपने हक हकूक खातेदारी, काश्तकारी व फसल प्राप्ति लाभ से वंचित हो जावेंगे तथ रहन, वय किये जाने पर पक्षकारान मध्य अनावश्यक बहु विवाद उत्पन्न होने की वजह से सायलान को भारी अपूर्णीय क्षति का सामन करना पडेगा जिसकी पूर्ति जरे नगद सम्भव नहीं होगी। इसलिये अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायलान के पक्ष में तय किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2022.09.21 17:26:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

:—आदेश—:

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया केस, अपूर्णीय क्षति, सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में साबित होने के कारण सायलान प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को ताफैसला दावा इस प्रकार पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित आराजीयात खसरा नं. 4723 रकवा 1 विस्वा, खसरा नं. 4724 रकवा 09 विस्वा वांके शहर करौली के कब्जे काश्त सायलान में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत ना स्वयं करे ना अन्य से करावे ना ही जबरन ताकत के बल पर बेदखल करे ना करावे ना ही रहन, वय करे ना करावे। मौके व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल पत्रावली वाद पत्र संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया ।

उप जिला कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
करौली(राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2022.09.21 17:26:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner